



बिहार लोक सेवा आयोग  
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग-अलग सेवाओं/संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों (आरक्षण कोटिवार) के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचनानुसार 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद/सेवा निम्नांकित सारणी-I एवं सारणी-II में दर्शायी गयी है:-

सारणी - I (72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा)

| क्र. सं. | विभाग/पद एवं अन्य संवर्ग का नाम                                                | वेतनमान   | आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ                   |                          |               |                 |                     |             |                        | कुल पद | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी | दिव्यांग                                 | न्यूनतम उम्र |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
|          |                                                                                |           | अनारक्षित                                  | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़े वर्गों की महिला |        |                                           |                                          |              |
|          |                                                                                |           | महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या |                          |               |                 |                     |             |                        |        |                                           |                                          |              |
| 1.       | अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्ता, बिहार प्रशासनिक सेवा                       | Level - 9 | 40                                         | 10                       | 16            | 01              | 18                  | 12          | 03                     | 100    | 02                                        | VI - 01<br>DD - 01<br>OH - 01<br>MD - 01 | 22 वर्ष      |
|          |                                                                                |           | 14                                         | 04                       | 06            | 00              | 06                  | 04          | 34                     |        |                                           |                                          |              |
| 2.       | पुलिस उपाधीक्षक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा)                                       | Level - 9 | 11                                         | 02                       | 01            | 01              | 06                  | 01          | 00                     | 22     | 00                                        | --                                       | 20 वर्ष      |
|          |                                                                                |           | 04                                         | 00                       | 00            | 00              | 02                  | 00          | 06                     |        |                                           |                                          |              |
| 3.       | राज्य-कर सहायक आयुक्त (बिहार वित्त सेवा), वाणिज्य-कर विभाग                     | Level - 9 | 29                                         | 07                       | 12            | 00              | 19                  | 07          | 02                     | 76     | 01                                        | VI - 01<br>DD - 01<br>MD - 01            | 22 वर्ष      |
|          |                                                                                |           | 10                                         | 02                       | 04            | 00              | 05                  | 02          | 23                     |        |                                           |                                          |              |
| 4.       | अवर निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग                                         | Level - 9 | 02                                         | 01                       | 02            | 00              | 00                  | 02          | 00                     | 07     | 01                                        | -                                        | 22 वर्ष      |
|          |                                                                                |           | 00                                         | 00                       | 00            | 00              | 00                  | 00          | 00                     |        |                                           |                                          |              |
| 5.       | अवर निबंधक/संयुक्त अवर निबंधक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग             | Level - 9 | 03                                         | 00                       | 00            | 00              | 00                  | 00          | 00                     | 03     | 00                                        | -                                        | 22 वर्ष      |
|          |                                                                                |           | 01                                         | 00                       | 00            | 00              | 00                  | 00          | 01                     |        |                                           |                                          |              |
| 6.       | श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभाग                                                | Level - 9 | 06                                         | 01                       | 03            | 00              | 00                  | 00          | 00                     | 10     | 01                                        | DD-01                                    | 22 वर्ष      |
|          |                                                                                |           | 02                                         | 00                       | 01            | 00              | 00                  | 00          | 03                     |        |                                           |                                          |              |
| 7.       | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग                        | Level - 9 | 04                                         | 01                       | 02            | 00              | 01                  | 01          | 01                     | 10     | 01                                        | -                                        | 22 वर्ष      |
|          |                                                                                |           | 01                                         | 00                       | 00            | 00              | 00                  | 00          | 01                     |        |                                           |                                          |              |
| 8.       | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग             | Level - 9 | 01                                         | 00                       | 00            | 00              | 00                  | 01          | 00                     | 02     | 00                                        | 00                                       | 22 वर्ष      |
|          |                                                                                |           | 00                                         | 00                       | 00            | 00              | 00                  | 00          | 00                     |        |                                           |                                          |              |
| 9.       | बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग), शिक्षा विभाग                            | Level - 9 | 01                                         | 00                       | 00            | 01              | 03                  | 01          | 03                     | 09     | 00                                        | 00                                       | 22 वर्ष      |
|          |                                                                                |           | 00                                         | 00                       | 00            | 00              | 00                  | 00          | 00                     |        |                                           |                                          |              |
| 10.      | जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग                      | Level - 9 | 01                                         | 00                       | 00            | 00              | 00                  | 00          | 00                     | 01     | 00                                        | -                                        | 22 वर्ष      |
|          |                                                                                |           | 00                                         | 00                       | 00            | 00              | 00                  | 00          | 00                     |        |                                           |                                          |              |
| 11.      | ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग                                               | Level - 9 | 18                                         | 04                       | 07            | 01              | 08                  | 05          | 01                     | 44     | 01                                        | VI - 01<br>DD - 01                       | 22 वर्ष      |
|          |                                                                                |           | 06                                         | 01                       | 02            | 00              | 03                  | 02          | 14                     |        |                                           |                                          |              |
| 12.      | प्रोबेशन पदाधिकारी, गृह विभाग (कारा)                                           | Level - 9 | 01                                         | 00                       | 02            | 01              | 00                  | 00          | 00                     | 04     | 00                                        | -                                        | 21 वर्ष      |
|          |                                                                                |           | 00                                         | 00                       | 00            | 00              | 00                  | 00          | 00                     |        |                                           |                                          |              |
| 13.      | सहायक योजना पदाधिकारी/सहायक निदेशक, योजना एवं विकास विभाग                      | Level - 9 | 04                                         | 01                       | 01            | 00              | 02                  | 01          | 01                     | 10     | 00                                        | -                                        | 21 वर्ष      |
|          |                                                                                |           | 01                                         | 00                       | 00            | 00              | 00                  | 00          | 01                     |        |                                           |                                          |              |
| 14.      | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग                              | Level - 7 | 24                                         | 05                       | 12            | 00              | 07                  | 06          | 00                     | 54     | 01                                        | OH-01<br>DD-01                           | 21 वर्ष      |
|          |                                                                                |           | 08                                         | 02                       | 04            | 00              | 02                  | 02          | 18                     |        |                                           |                                          |              |
| 15.      | ग्रामीण विकास पदाधिकारी, (बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग) ग्रामीण विकास विभाग | Level - 7 | 27                                         | 07                       | 14            | 00              | 10                  | 05          | 02                     | 65     | 01                                        | OH-01<br>DD-01<br>MD-01                  | 21 वर्ष      |
|          |                                                                                |           | 09                                         | 02                       | 05            | 00              | 04                  | 02          | 22                     |        |                                           |                                          |              |

B

| क्र. सं.     | विभाग/पद एवं अन्य संवर्ग का नाम                                                                                                                      | वेतनमान   | आरक्षण कोटिवार रिकित्तियाँ                   |                          |               |                 |                        |             |                        | कुल पद | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नातीनी | दिव्यांग                                 | न्यूनतम उम्र |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                      |           | अनारक्षित                                    | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़े वर्गों की महिला |        |                                            |                                          |              |
|              |                                                                                                                                                      |           | महिलाओं के लिए आरक्षित रिकित्तियों की संख्या |                          |               |                 |                        |             |                        |        |                                            |                                          |              |
| 16.          | राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार राजस्व सेवा), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग                                                                          | Level-7   | 159                                          | 37                       | 57            | 02              | 66                     | 31          | 13                     | 365    | 07                                         | VI - 04<br>DD - 04<br>OH - 03<br>MD - 03 | 21 वर्ष      |
|              |                                                                                                                                                      |           | 56                                           | 13                       | 20            | 00              | 23                     | 11          | 123                    |        |                                            |                                          |              |
| 17.          | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, (बिहार पंचायत सेवा), पंचायती राज विभाग                                                                                  | Level-7   | 27                                           | 07                       | 11            | 00              | 13                     | 08          | 04                     | 70     | 01                                         | VI - 01<br>OH - 01<br>MD - 01            | 21 वर्ष      |
|              |                                                                                                                                                      |           | 09                                           | 02                       | 04            | 00              | 04                     | 03          | 22                     |        |                                            |                                          |              |
| 18.          | सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहकारिता विभाग                                                                                                            | Level-7   | 68                                           | 13                       | 03            | 00              | 13                     | 33          | 00                     | 130    | 03                                         | VI - 01<br>DD - 01<br>OH - 02<br>MD - 01 | 21 वर्ष      |
|              |                                                                                                                                                      |           | 24                                           | 05                       | 01            | 00              | 05                     | 12          | 47                     |        |                                            |                                          |              |
| 19.          | श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग                                                                                 | Level - 7 | 18                                           | 06                       | 09            | 00              | 13                     | 09          | 01                     | 56     | 01                                         | VI-01<br>OH-01<br>MD-01                  | 21 वर्ष      |
|              |                                                                                                                                                      |           | 06                                           | 02                       | 03            | 00              | 05                     | 03          | 19                     |        |                                            |                                          |              |
| 20.          | आपूर्ति निरीक्षक (बिहार आपूर्ति सेवा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग                                                                              | Level-7   | 20                                           | 03                       | 06            | 02              | 00                     | 00          | 00                     | 31     | 01                                         | MD-01                                    | 21 वर्ष      |
|              |                                                                                                                                                      |           | 07                                           | 01                       | 02            | 00              | 00                     | 00          | 10                     |        |                                            |                                          |              |
| 21.          | प्रखंड अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी, (बिहार अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग), अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग | Level-7   | 00                                           | 00                       | 03            | 00              | 01                     | 01          | 00                     | 05     | 00                                         | -                                        | 21 वर्ष      |
|              |                                                                                                                                                      |           | 00                                           | 00                       | 00            | 00              | 00                     | 00          | 00                     |        |                                            |                                          |              |
| 22.          | प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग                                                                                         | Level - 6 | 02                                           | 00                       | 01            | 00              | 00                     | 00          | 00                     | 03     | 00                                         | -                                        | 22 वर्ष      |
|              |                                                                                                                                                      |           | 00                                           | 00                       | 00            | 00              | 00                     | 00          | 00                     |        |                                            |                                          |              |
| <b>Total</b> |                                                                                                                                                      |           | 466                                          | 105                      | 162           | 9               | 180                    | 124         | 31                     | 1077   | 22                                         | VI - 10<br>DD - 11<br>OH - 10<br>MD - 10 |              |
|              |                                                                                                                                                      |           | 158                                          | 34                       | 52            | 0               | 59                     | 41          | 344                    |        |                                            |                                          |              |

## सारणी - II (अन्य)

| क्र. सं.     | विभाग/पद/संवर्ग का नाम                                                           | वेतनमान  | आरक्षण कोटिवार रिकित्तियाँ                   |                          |               |                 |                        |             |                        | कुल पद | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नातीनी | दिव्यांग                                 | न्यूनतम उम्र                                       |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
|              |                                                                                  |          | अनारक्षित                                    | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़े वर्गों की महिला |        |                                            |                                          |                                                    |         |
|              |                                                                                  |          | महिलाओं के लिए आरक्षित रिकित्तियों की संख्या |                          |               |                 |                        |             |                        |        |                                            |                                          |                                                    |         |
| 01           | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग                                  | Level -9 | 12                                           | 02                       | 00            | 00              | 01                     | 05          | 00                     | 20     | 01                                         | DD-01                                    | 21 वर्ष                                            |         |
|              |                                                                                  |          | 04                                           | 00                       | 00            | 00              | 00                     | 02          | 06                     |        |                                            |                                          |                                                    |         |
| 02           | वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा) वित्त विभाग | Level -9 | 12                                           | 03                       | 04            | 01              | 05                     | 04          | 01                     | 32     | 01                                         | VI - 01<br>DD - 01<br>MD - 01            | 22 वर्ष<br>अग्रणीत रिकित्त 02<br>(DD-01 एवं MD-01) |         |
|              |                                                                                  |          | 04                                           | 01                       | 01            | 00              | 02                     | 01          | 09                     |        |                                            |                                          |                                                    |         |
| 03           | अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (केवल महिलाओं के लिए)               | Level -9 | केवल महिलाओं के लिए रिकित्तियों की संख्या    |                          |               |                 |                        |             |                        | 03     | 101                                        | 02                                       | VI - 01<br>DD - 01<br>OH - 01<br>MD - 01           | 21 वर्ष |
|              |                                                                                  |          | 41                                           | 10                       | 16            | 01              | 18                     | 12          |                        |        |                                            |                                          |                                                    |         |
| <b>Total</b> |                                                                                  |          | 24                                           | 05                       | 04            | 01              | 06                     | 09          | 04                     | 153    | 04                                         | VI - 02<br>DD - 03<br>OH - 01<br>MD - 02 |                                                    |         |
|              |                                                                                  |          | 49                                           | 11                       | 17            | 01              | 20                     | 15          | 15                     |        |                                            |                                          |                                                    |         |

- नोट:-I. दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है:- VI- दृष्टि दिव्यांग, DD- मूक बधिर दिव्यांग, OH - चलन्त दिव्यांग, MD - मनोविकार दिव्यांग/बहुदिव्यांग।
- II. प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- III. उक्त विज्ञापन के लिए भरे गये आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों/एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाईन (online) आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट <https://bpsc.bihar.gov.in> पर उपलब्ध है।

## 2. शैक्षिक योग्यता:-

| क्र. सं. | परीक्षा का नाम                                | शैक्षणिक योग्यता                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा | मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।                                                                                                                        |
| 02       | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी                  | किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय (1) गृह विज्ञान (2) मनोविज्ञान (3) समाजशास्त्र (4) श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा।    |
| 03       | वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष        | किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा।                                             |
| 04       | अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी                     | किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान अथवा विधि में से एक विषय से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है एवं वैकल्पिक विषय (1) मनोविज्ञान (2) विधि में से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा। |

- नोट:- (i) ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा।
- (ii) विशेष शैक्षिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी।

## 3. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर परीक्षा के किसी भी स्तर/चरण में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (ii) आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा।
- (iii) बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (iv) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-  
 (a) जाति प्रमाण-पत्र  
 (b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (C) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (D) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

- (v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षण कोटि निम्नवत् है :-

| क्र. सं. | आरक्षण कोटि                                            | ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण कोटि | कोटि कोड |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| 1.       | अनारक्षित (Unreserved)                                 | UR                           | 01       |
| 2.       | अनुसूचित जाति (Scheduled Caste)                        | SC                           | 02       |
| 3.       | अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe)                      | ST                           | 03       |
| 4.       | अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)          | EBC                          | 04       |
| 5.       | पिछड़ा वर्ग (Backward Class)                           | BC                           | 05       |
| 6.       | पिछड़े वर्गों की महिला (Backward Class Ladies)         | BCL                          | 06       |
| 7        | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) | EWS                          | 07       |

- (क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-8962, दिनांक-21.05.2025 के आलोक में बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों (Persons with Benchmark Disability) को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र औपबंधिक रूप से मान्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Civil Surgeon/CMO द्वारा निर्गत) समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या- 10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा- 2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) (40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त) एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2568, दिनांक- 11.02.2025 के आलोक में विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों के लिए श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाईन आवेदन के श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक-09.07.2025 के आलोक में संपूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी (आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी) महिलाओं को ही इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 11687, दिनांक- 30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी परिचय पत्र मान्य नहीं है)।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 एवं पत्रांक-12123, दिनांक-23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची -I (प्रपत्र -I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाये कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।



अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरते समय किये गये दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र यथा Matriculation प्रमाण पत्र, स्नातक या समतुल्य डिग्री/औपबंधिक प्रमाण पत्र (Provisional Certificate), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि को अपलोड करते हुए निर्गत संख्या एवं तिथि ऑनलाईन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षण) के समय ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये प्रमाण पत्र को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (संशोधन किये जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि) तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

4. उम्र सीमा:-

दिनांक 01.08.2026 को न्यूनतम उम्र सेवावार, 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)- 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष। सारणी - I के क्रम संख्या- 02 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष, क्रम संख्या- 12 से 21 तक की सेवाओं के लिए 21 वर्ष तथा क्रम संख्या- 01, 03 से 11 एवं 22 तक की सेवाओं के लिए 22 वर्ष एवं सारणी - II के क्रम संख्या- 01 एवं 03 के लिए 21 वर्ष तथा क्रम संख्या- 02 के लिए 22 वर्ष होना अनिवार्य है।

आयोग द्वारा Matriculation या समतुल्य प्रमाण-पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।

- (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519, दिनांक 10.09.2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-22218 (गजट), दिनांक 12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नांकित प्रावधान किया गया है:-
  - (क) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग-अलग अधिकतम कुल पाँच अवसर ही अनुमान्य होंगे।
  - (ख) उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।
  - (ग) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट पूर्ववत् अनुमान्य होगी। परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 962, दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (iii) 01 जनवरी, 1963 के बाद एन.सी.सी. में भर्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट/अनुदेशकों को एन.सी.सी. से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन ऊपर कड़िका 1 में उल्लिखित सेवाओं में पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन.सी.सी. में पूर्णकालिक सेवा की हो और यदि परिणामी उम्र, किसी विशिष्ट सेवा या पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उनके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि वे उन सेवाओं में या पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्तें पूरी करते हैं।
- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्त कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- (v) भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) श्रेणी के पदाधिकारी भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे पदों पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त-समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशर्त कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।

- (vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, 'वैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) की कारा सेवा हेतु अधिकतम उम्र सीमा तीन वर्ष तथा अन्य सेवाओं के लिए पाँच वर्ष अधिक होगी।
- (vii) सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने अथवा ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि से छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- (viii) निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ix) उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही-सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा।

5. शारीरिक क्षमता :-

उम्मीदवार स्वस्थ, सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों का भली भाँती पालन करने में बाधा हो। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जाँच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह नियुक्ति के लिए नहीं चुना जायेगा।

बिहार पुलिस सेवा पद के उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली (परिशिष्ट 'क') में प्रकाशित है।

6. शुल्क :-

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या- 15568, दिनांक 21.08.2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को अलग-अलग प्रत्येक परीक्षा (यथा 72<sup>nd</sup> CCE / बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/FAO/अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी) के लिए परीक्षा शुल्क - Rs. 100/- (एक सौ रुपये) जमा किया जाना है।

नोट:- वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें **Biometric fee** के रूप में प्रत्येक परीक्षा (यथा 72<sup>nd</sup> CCE / बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/ FAO/ अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी) के लिए 200/- (दो सौ) रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।

एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना

I. प्रारम्भिक परीक्षा (भाग-1):-

- (i) एकीकृत संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।
- (ii) प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच विकल्प (A,B,C,D,E) प्रदान किये जायेंगे। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर (A), (B), (C) या (D) में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो विकल्प (E) का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी पाँचों विकल्प (A,B,C,D,E) में से किसी का भी चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित (UnAnswerd) प्रश्न पर नकारात्मक अंकण करते हुए  $1/3$  (एक तिहाई) अंक की कटौती की जायेगी।
- (iii) प्रारम्भिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) किया जायेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए  $1/3$  (एक तिहाई) Negative Marking का प्रावधान है।
- (iv) प्रारम्भिक परीक्षा महज जाँच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की दस (10) गुणी होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा।
- (v) इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।

f

- (vi) इस प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और इसके लिए कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक - 962, दिनांक-22.01.2021 के द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

II. मुख्य (लिखित) परीक्षा (भाग-2):-

| क्र. सं. | परीक्षा/पद का नाम                 | अनिवार्य विषय/पूर्णांक/अवधि (विषय कोड)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वैकल्पिक विषय                                                                                                                                                                                                                                                                       | विषय कोड |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01       | 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा | (i) सामान्य हिन्दी (01) - 100 अंक (03:00 घंटा)<br>(इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।)<br>(ii) सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02) - 300 अंक (03:00 घंटा)<br>(iii) सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03) - 300 अंक (03:00 घंटा)<br>(iv) निबंध (38) - 300 अंक (03:00 घंटा) | निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 100 अंक (100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ/MCQ आधारित) एवं परीक्षा अवधि 02:00 घंटा का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा परन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी। |          |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कृषि विज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                    | 05       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मानव विज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वनस्पति विज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रसायन विज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                       | 08       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सिविल इंजीनियरिंग                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि                                                                                                                                                                                                                                                     | 10       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अर्थशास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विद्युत इंजीनियरिंग                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भूगोल                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भू-विज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | इतिहास                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रम एवं समाज कल्याण                                                                                                                                                                                                                                                                | 16       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रबन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गणित                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | यांत्रिक इंजीनियरिंग                                                                                                                                                                                                                                                                | 20       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दर्शन शास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भौतिकी                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध                                                                                                                                                                                                                                           | 23       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मनोविज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | लोक प्रशासन                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | समाज शास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सांख्यिकी                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्राणी विज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हिन्दी भाषा और साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                              | 29       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अंग्रेजी भाषा और साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                            | 30       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | उर्दू भाषा और साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                               | 31       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | बंगला भाषा और साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                               | 32       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | संस्कृत भाषा और साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                             | 33       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | फारसी भाषा और साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                               | 34       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अरबी भाषा और साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                                | 35       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पाली भाषा और साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                                | 36       |
|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मैथिली भाषा और साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                              | 37       |

| क्र. सं. | परीक्षा/पद का नाम                                    | अनिवार्य विषय/पूर्णांक/अवधि (विषय कोड)                                                                                                                                                                                                                                                                     | वैकल्पिक विषय                                                                                                                                                                                                                                               | विषय कोड |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 02       | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (समाज कल्याण विभाग)     | (i) सामान्य हिन्दी (01) - 100 अंक (03:00 घंटा) (इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।)<br>(ii) सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02) - 300 अंक (03:00 घंटा)<br>(iii) सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03) - 300 अंक (03:00 घंटा) | निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 300 अंक (विषयनिष्ठ आधारित) एवं परीक्षा अवधि 03:00 घंटा का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जायेगी। |          |
|          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गृह विज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                 | 39       |
|          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मनोविज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                  | 40       |
|          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | समाजशास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                 | 41       |
|          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रम एवं समाज कल्याण                                                                                                                                                                                                                                        | 42       |
| 03       | वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष (वित्त विभाग) | (i) सामान्य हिन्दी (01) - 100 अंक (03:00 घंटा) (इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।)<br>(ii) सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02) - 300 अंक (03:00 घंटा)<br>(iii) सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03) - 300 अंक (03:00 घंटा) | निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 300 अंक (विषयनिष्ठ आधारित) एवं परीक्षा अवधि 03:00 घंटा का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जायेगी। |          |
|          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वाणिज्य                                                                                                                                                                                                                                                     | 43       |
|          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अर्थशास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                 | 44       |
|          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गणित                                                                                                                                                                                                                                                        | 45       |
|          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सांख्यिकी                                                                                                                                                                                                                                                   | 46       |
| 04       | अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी (समाज कल्याण विभाग)        | (i) सामान्य हिन्दी (01) - 100 अंक (03:00 घंटा) (इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।)<br>(ii) सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02) - 300 अंक (03:00 घंटा)<br>(iii) सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03) - 300 अंक (03:00 घंटा) | निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 300 अंक (विषयनिष्ठ आधारित) एवं परीक्षा अवधि 03:00 घंटा का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जायेगी। |          |
|          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मनोविज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                  | 53       |
|          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विधि                                                                                                                                                                                                                                                        | 54       |

**टिप्पणी :-**

- प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क (मुख्य परीक्षा हेतु) विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा।
- एकीकृत मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वहीं होंगे, जो 72वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय है।
- एकीकृत मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न पदों के लिए दिए गये वैकल्पिक विषय अलग होंगे, जिसमें से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा।
  - (i) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे।
  - (ii) सभी भाषेत्तर विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी।
  - (iii) प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश/उद्धृत अंश, यदि कोई है, का, चुनी गई भाषा के साथ, अंग्रेजी रूपान्तरण दे सकते हैं। इससे भिन्न स्थिति होने पर ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं को मान्य करने/नहीं करने के संबंध में आयोग निर्णय लेगा।
  - (iv) कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक - 962, दिनांक-22.01.2021 के द्वारा मुख्य (लिखित) परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त

(दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

- (v) मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के ढाई (2½) गुणा होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जायेगा।

### III. व्यक्तित्व परीक्षण (भाग-3) :-

(i) मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा।

(ii) व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल हेतु बनाये जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।

### सेवा/पद अधिमानता (Service/Post Choice) का चुनाव :-

मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में अनिवार्य रूप से सेवा/पद का प्राथमिकता के अनुसार चयन करना सुनिश्चित करेंगे। जिस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जायेगी, उस पद के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

### स्वास्थ्य परीक्षण:-

व्यक्तित्व परीक्षण के पश्चात् सभी उम्मीदवारों की आयोग में गठित चिकित्सक बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य है। उक्त जाँच के समय नकद 16/रु. (सोलह रूपया) मात्र जमा करना अनिवार्य है। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जाँच के बाद यदि उम्मीदवार विहित सेवा के लिए निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह उस सेवा के नियुक्ति के लिए नहीं चुना जायेगा।

- (i) आयोग बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी (PwBD) द्वारा दावा किये गये दिव्यांगता की परीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र होगा एवं परीक्षणोपरान्त प्राप्त दिव्यांगता प्रतिशत अनुमान्य किया जायेगा। दिव्यांगता के संबंध में चिकित्सा पर्षद द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

### मेधा सूची:-

- (i) एकीकृत 72वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के 900 अंक (सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र - 300 अंक, सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र- 300 अंक, निबन्ध-300 अंक) एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक कुल - 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जायेगा।
- (ii) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष / अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के लिए मुख्य परीक्षा के 900 अंक (सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र - 300 अंक, सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र- 300 अंक एवं एक ऐच्छिक विषय-300 अंक) एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक कुल- 1020 अंकों के आधार पर पदवार मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जायेगा।
- (iii) अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य (लिखित) परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त है उसे मेधा क्रम में उपर रखा जायेगा। मुख्य (लिखित) परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधाक्रम निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधाक्रम में स्थान दिया जायेगा।
- (iv) अन्य सेवाओं के लिए अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य (लिखित) परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त है उसे मेधा क्रम में उपर रखा जायेगा। मुख्य (लिखित) परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वैकल्पिक विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में उपर रखा जायेगा तथा वैकल्पिक विषय में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधाक्रम में स्थान दिया जायेगा।
- (v) मेधाक्रमानुसार उम्मीदवारों द्वारा भरी गयी सेवा अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर पद का आवंटन किया जायेगा।
- (vi) आयोग सफल उम्मीदवार को विज्ञापन में वर्णित किसी भी सेवा/पद के लिए अनुशासित करने का अधिकार रखता है, जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है तथा जिसके लिए आयोग उसे योग्य समझता है।
8. वैसे अभ्यर्थी प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
9. एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत/भ्रामक सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जबाबदेह होंगे। गलत या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थिता के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
10. जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाती है, वे अभ्यर्थिता निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं। अतः उन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक नहीं दिया जायेगा।

11. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं विस्तृत निर्देश निम्नांकित हैं:-

(i)

|    |                                    |            |
|----|------------------------------------|------------|
| 1. | ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि | 07.05.2026 |
| 2. | ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि    | 31.05.2026 |

- अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण-पत्र/कागजात को **PDF Format** में निर्धारित स्थान पर **अपलोड करना आवश्यक है।**
- अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये प्रमाण पत्रों की जाँच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट <https://bpsc.bihar.gov.in/> / <https://bpsconline.bihar.gov.in> पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जायेगी।

विस्तृत निर्देश:-

ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि:-

- अभ्यर्थी के पास Valid एवं Working E-mail Id तथा Mobile No. मौजूद है। उक्त E-mail Id तथा Mobile No. को अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे।
- आयोग के Official Website पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिन्दुओं का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र/दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध है।
- संबंधित विज्ञापन के अनुरूप Application Form में Upload किये जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र/दस्तावेज की **Scanned Copy (.pdf format, अधिकतम 100 KB size में)** अभ्यर्थी के पास उपलब्ध है।
- जिस System (Desktop/Laptop etc.) से आवेदन भर रहे हैं उसमें अच्छी **Quality** का **Webcam** उपलब्ध हो साथ ही सुनिश्चित करें कि Photo Capture करते समय **Background** सफेद/हल्के रंग का हो एवं पर्याप्त रोशनी (**Sufficient Light**) उपलब्ध हो।
- Upload किये जाने वाले हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का **Scanned Image (.jpg/jpeg format, अधिकतम 15KB size एवं dimension 220\*100 pixel में)** उपलब्ध है, जो सुस्पष्ट एवं पठनीय हो।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:-

**A. One Time Registration (OTR)**

- (i) BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट <https://bpsconline.bihar.gov.in> पर One Time Registration (OTR) करना अनिवार्य है।
- (ii) OTR करने के लिए अभ्यर्थी New user Registration Button पर Click करेंगे।
- (iii) भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों हेतु उक्त OTR ही मान्य होगा।
- (iv) OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है। यह केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड देना है।
- (v) OTR करने के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अपने ईमेल के Inbox या Spam में अपना ईमेल OTP देखें।
- (vi) जो उम्मीदवार BPSC द्वारा विज्ञापित किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें OTR में दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग होगा।
- (vii) एक से अधिक **OTR** पंजीकरण की अनुमति नहीं है। इससे आपका आवेदन अस्वीकृत/रद्द हो सकता है।
- (viii) जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय One Time Registration (OTR) कराया है, वे भी नए पोर्टल पर नये सिरे से OTR प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे।
- (ix) ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाइल नं./ईमेल.आई.डी. एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाये गये पासवर्ड से URL: <https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login> पर Login करेंगे।

नोट:-

- (i) **OTR** के क्रम में भरे गये अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार व जन्मतिथि में परिवर्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- (ii) आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे **Digilocker Account** के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है।



## **B. INSTRUCTIONS FOR DIGILOCKER ACCOUNT:-**

- (i) OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही Digilocker का Meri Pehchan Portal खुल जायेगा। जिन अभ्यर्थियों के पास Digilocker का Account उपलब्ध है, तो Digilocker Account का Consent OAMS को देते हुए Sign in करना होगा एवं अगर आवेदक के पास Digilocker का Account उपलब्ध नहीं है, तो New Sign up करते हुए Digilocker Account Create कर सकते हैं एवं Digilocker का Consent OAMS को देते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
- (ii) यदि आवेदक ने पहले ही डिजिलॉकर पर दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और OAMS को access दी है, तो वे सीधे वहां से उन दस्तावेजों को OAMS से Link कर सकते हैं।
- (iii) यदि आवेदक Digilocker के Portal के माध्यम से Proceed नहीं करना चाहते हो तो Browser के Back (←) Button पर Click करने के उपरान्त Online Application का Portal खुल जायेगा। Online Application Portal पर Login Credentials Enter करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

## **C. INSTRUCTIONS FOR PROFILE CREATION:-**

प्रोफाइल निर्माण के लिए छह चरण हैं। वे इस प्रकार हैं:-

Step 1: Personal Information (व्यक्तिगत जानकारी)

Step 2: Address Information (पता संबंधी जानकारी)

Step 3: Other Information (अन्य जानकारी)

Step 4: Qualification Information (योग्यता संबंधी जानकारी)

Step 5: Experience Information (अनुभव संबंधी जानकारी)

Step 6: Upload Photo / Signature and Profile Lock (अपलोड फोटो/हस्ताक्षर प्रोफाइल लॉक)

**Step 1: व्यक्तिगत जानकारी :** इस चरण में आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी भरना होगा, जैसे स्वयं की जाति और श्रेणी विवरण (UR, EWS, BC, EBC, SC एवं ST)। आवेदक को अपनी किसी भी प्रकार की दिव्यांगता, खेलों का विवरण, भूतपूर्व सैनिक, NCC कैडेट, सरकारी कर्मचारी से संबंधित जानकारी देनी होगी। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 2: पता संबंधी जानकारी :** इस चरण में आवेदक को अपना स्थायी पता भरना होगा, जैसे उसका पता, राज्य, जिला और पिन कोड। फिर आवेदक को पत्राचार का पता देना होगा। यदि स्थायी पता पत्राचार के पते के समान है, तो आवेदक Same as Above पर Click कर सकता है। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 3: अन्य जानकारी :** इस चरण में यदि आवेदक के खिलाफ चल रहे कोई भी आपराधिक कार्यवाही या सजा का विवरण है तो उसे भरना होगा। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 4: योग्यता संबंधी जानकारी :** इस चरण में आवेदक को अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण दर्ज करना होगा। आवेदक कम से कम 10वीं एवं बारहवीं से आगे तक जानकारी प्रदान कर सकता है। इस चरण में शैक्षणिक योग्यता (ड्रॉप-डाउन में उपलब्ध विकल्प में से चुनना होगा), शैक्षणिक योग्यता का नाम, विषय, राज्य, बोर्ड/विश्वविद्यालय, शैक्षणिक योग्यता की स्थिति (Completed or Appearing), शैक्षणिक योग्यता की उत्तीर्णता की तिथि, प्रयास (Attempt), प्राप्त अंक, कुल अंक, प्रतिशत (उन विश्वविद्यालय के अनुसार जहाँ आवेदक ने अध्ययन किया है), शैक्षिक महीनों की संख्या, वर्ग या श्रेणी, मोड (Distance or Regular), अनिवार्य विषय, वैकल्पिक विषय, सीट या रोल संख्या और उत्तीर्णता का वर्ष अंकित करना होगा। एक योग्यता का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करे। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 5: अनुभव संबंधी जानकारी :** इस चरण में यदि आवेदक के पास कोई प्रासंगिक कार्य अनुभव है, तो उसे हाँ पर क्लिक करना होगा अन्यथा नहीं पर Click करें। यदि आवेदक हाँ का चुनाव करते हैं, तो आवेदक को अपने कार्यानुभव का विवरण (वर्तमान/पूर्व), नियोजन का प्रकार, विभाग जहां वे कार्यरत हैं/थे, बिहार सरकार के अन्तर्गत संस्थान का नाम, पदनाम, ग्रेड पे, मूल वेतन एवं किस तिथि से कार्यरत हैं, का विवरण अंकित करना होगा। एक कार्य अनुभव का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करे। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 6: फोटो एवं हस्ताक्षर एवं प्रोफाइल लॉक:** इस चरण में आवेदक को एक वेब कैमरा की आवश्यकता होगी, जिससे वे अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे उसके बाद आवेदक को एक अंग्रेजी और एक हिंदी हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर फोटो का आकार 20kb से अधिक नहीं होना चाहिए एवं Width 150-220 Pixel के बीच और Height 250-320 Pixel के बीच होनी चाहिए एवं उसके बाद Save बटन पर Click करना होगा। अंत में आवेदक को check-box पर Click करके इस बात की पुष्टि करनी होगी कि प्रदान की गई सभी जानकारी सही है एवं उसके बाद आवेदक Submit और Lock Profile पर Click करना होगा।

**नोट:-**

- (i) Lock Profile पर Click करने के बाद Profile Lock होने के बाद ही आवेदक को Active Advertisements की लिस्ट New Advertisement Tab के अन्दर दिखेंगे।
- (ii) Profile Lock होने के बाद अगर किसी विज्ञापन के लिए Apply कर देते हैं, तो उस विज्ञापन में दिये गये किसी भी प्रविष्टि (Details) में कोई भी सुधार/परिवर्तन नहीं होगा।

## **D. INSTRUCTIONS FOR NEW APPLICATION**

- (i) आवेदक का Profile Create होने के बाद New Application Tab में सारी On going/Active Advertisements दिखेगा, जिसमें Pay Fees Button Click करने पर एक Confirmation Pop-up आयेगा, जिसमें Terms & Conditions Accept



करने के बाद पद चयन का विकल्प आयेगा, जिसमें अभ्यर्थी को पद का चयन करना होगा एवं उसके पश्चात् चयनित पद का Payment Calculate होकर Payable Amount में दिखेगा एवं उसके नीचे Online Payment और SBI Payment Gateway का चयन कर Preview करने के पश्चात् Confirm & Pay Option पर Click कर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। Successful Payment होने के बाद New Application Tab में उक्त विज्ञापन के Apply Button पर click करने पर Application Form खुलेगा। जिसमें Proceed to Application Button पर click करके आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे एवं Submit Application Button पर click करके Application Form Submit करेंगे।

- (ii) Application Form एवं Payment की प्रक्रिया पूर्ण होने पर My Account Tab पर Click करने के बाद आवेदक द्वारा Apply किये गये Advertisements दिखेंगे, जिसके Action Column में Application Form Print, Cancel Application, Payment History का विकल्प उपलब्ध होगा।
- (iii) यदि किसी आवेदक के Application Form में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, तो वे अपना आवेदन Cancel करके नए सिरे से Application Form भरना सुनिश्चित करेंगे।

नोट:-

- अगर अभ्यर्थी ने किसी भी विज्ञापन के लिए भुगतान किया हुआ है तो उनका Profile Lock रहेगा एवं उस विज्ञापन के Final Application Submit होने के बाद ही Profile किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए Unlock होगा। अगर अभ्यर्थी Profile में किसी Details को Change करने के बाद ही Application Submit करना चाहते हैं तो अभ्यर्थी को पहले अपना Payment Cancel करना होगा। Application Form में Proceed for Application Button Click करने के बाद Form में सबसे नीचे Cancel Payment Button का Option उपलब्ध होगा।
  - Cancel Payment या Application Form Cancel करने के बाद कोई भी भुगतान वापस नहीं किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- (iv) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे।
  - (v) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id एवं Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित नहीं करेंगे।
  - (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
  - (vii) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
  - (viii) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
  - (ix) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की चार प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

## **E. MY ACCOUNT TAB**

- (i) यदि किसी आवेदक को अपना पासवर्ड Change करना है, तो आवेदक My Account Tab में उपलब्ध विकल्प से कर सकता है।
- (ii) ऑनलाइन भुगतान करने, ऑनलाइन आवेदन भरने एवं हार्ड कॉपी डाउनलोड करने के बाद Profile में किया गया कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (iv) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Application Number, Application ID एवं Bar Code अंकित है। हार्ड कॉपी पर Application Number, Application ID एवं Bar Code में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

४

- (v) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को **My Account Tab** से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

नोट:— यदि आवेदक को OTR एवं Application Form भरने में कोई शिकायत है, तो Grievance Tab में उसका विवरण दे सकते हैं।

12. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः My Account Tab पर Click करेंगे, तत्पश्चात् Action के अन्दर View Option पर Click करने पर Application Print का Option दिखेगा जहाँ से भरे हुए आवेदन की दो प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।
13. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
14. शैक्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
15. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट <https://bpsc.bihar.gov.in> पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
16. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अलग से, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
17. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
18. इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम (Syllabus) आयोग के वेबसाइट <https://bpsc.bihar.gov.in> पर उपलब्ध है।



परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

परिशिष्ट "क"

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली

[यह विनियमावली, जो पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों पर लागू होती है, उनकी सुविधा के लिये और इसलिये प्रकाशित की जाती है, ताकि वे यह अभिनिश्चित कर सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक मानक में आ सकते हैं या नहीं। लेकिन यह स्पष्ट रूप से जान लिया जाय कि राज्य सरकार को इस बात के लिये पूर्ण विवेक (डिस्क्रिशन) प्राप्त है कि वह ऐसे किसी उम्मीदवार को अयोग्य समझकर रद्द कर दे, जिसे वह मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सेवा के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य समझती हो तथा इस संबंध में राज्य सरकार का स्वविवेक किसी भी हालत में इस विनियमावली द्वारा सीमित नहीं होगी। इस विनियमावली का एकमात्र उद्देश्य स्वास्थ्य परीक्षक का मार्ग दर्शन करना है, न कि राज्य सरकार के विवेक को किसी प्रकार प्रतिबंधित करना। जब कभी किसी महिला उम्मीदवार को स्वास्थ्य परीक्षा की जायेगी, तब मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में एक महिला डॉक्टर सहयोजित कर दी जायेगी।]

(टिप्पणी—इसमें पुल्लिंग शब्दों के प्रसंगानुसार स्त्रीलिंग का भी बोध होगा)

01. किसी उम्मीदवार को नियुक्ति के वास्ते योग्य करार दिया जाय, इसके लिए आवश्यक है कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा उसमें ऐसी कोई शारीरिक त्रुटि न हो, जिससे उसके अपने पदीय कर्तव्यों के कुशल सम्पादन में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

|                      | बिना जूते की ऊँचाई      | पूरी सांस छोड़ने के बाद छाती की माप | पूरी सांस लेने के बाद छाती की माप |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 21 वर्ष और उससे अधिक | 62½ इंच और 65 इंच से कम | 30 इंच                              | 32 इंच                            |
|                      | 65 इंच और 68 इंच से कम  | 31 इंच                              | 33 इंच                            |
|                      | 68 इंच और 70 इंच से कम  | 32 इंच                              | 34 इंच                            |
|                      | 70 इंच और 72 इंच से कम  | 33 इंच                              | 35¼ इंच                           |
|                      | 72 इंच और उससे अधिक     | 34 इंच                              | 36½ इंच                           |

02. उम्मीदवारों की परीक्षा करते समय मेडिकल बोर्ड; उम्र, ऊँचाई और छाती की चौड़ाई की निम्न सह-संबद्ध तालिका का अनुसरण करेगा, किन्तु आदिवासी या अर्द्ध-आदिवासी उम्मीदवारों की दशा में उनके सामान्य निम्न स्तर के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए यह मेडिकल बोर्ड के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह निम्न स्तर के स्वास्थ्य वाले उम्मीदवार को योग्य करार दे या नहीं।

03. ऊँचाई—उम्मीदवार की ऊँचाई की माप निम्न तरीके से ली जायेगी:—

वह अपने जूते को खोलकर और पांवों को सटाकर एड़ी के बल पर, न कि अपने पैरों की ऊंगलियों या अपने पांवों को दूसरी तरफ बल देकर मानदंड के सामने खड़ा हो जायेगा। वह बिना तने ही सीधा खड़ा रहेगा और उसकी एड़ियाँ, पिंडलियाँ, नितम्ब और कंधे मानदंड से सटे होंगे तथा टुड्डी को इतना भर झुका दिया जायेगा कि सिर का ऊपरी भाग अनुप्रस्थ-पट्टी (हॉरिजेन्टल बार) से नीचे आ जाय। ऊँचाई इंच में अभिलिखित की जायेगी तथा इंच का भिन्नांक चौथाई इंच माना जायेगा।

04. छाती—उम्मीदवार की छाती की माप निम्न तरीके से ली जायेगी:—

उम्मीदवार अपने पांवों को सटाकर खड़ा हो जायेगा और उसकी दोनों बाहें, उसके सिर से ऊपर उठी रहेंगी। फीते को छाती के चारों ओर इस तरह लगाया जायेगा कि फीते का ऊपरी किनारा उसकी कांख के नीचे स्पर्श करे। इसके बाद दोनों बाहों को सामान्य रूप से नीचे लटकने दिया जायेगा और इस बात पर ध्यान रहे कि कंधे ऊपर—नीचे न हों, क्योंकि ऐसा करने से फीता इधर—उधर हो जायेगा। तत्पश्चात्, उम्मीदवार को अनेक बार जोर से सांस लेने के लिये कहा जायेगा और तब छाती के अधिकतम फैलाव को सावधानी से नोट कर लिया आयेगा। छाती के न्यूनतम और अधिकतम फैलाव की माप इंच में अभिलिखित की जायेगी, जैसे—33"—35," 34"—36") आदि। "(माप करते समय)" से कम के भिन्नांक को नहीं लिखा जायेगा।

05. वजन—उम्मीदवार का वजन कर किलोग्राम में अभिलिखित किया जायेगा। किलोग्राम का भिन्नांक नहीं लिखा जायेगा।

06. दृष्टिशक्ति-उम्मीदवार की दृष्टिशक्ति की जाँच निम्नांकित नियमों के अनुसार की जायेगी। हरेक जाँच का परिणाम अभिलिखित किया जायेगा:-

- (i) सामान्य-उम्मीदवार की आँखों में कोई रोग और असामान्यता है या नहीं, इसका पता लगाने के लिये उसकी आँखों की सामान्य जाँच की जायेगी। यदि आँखें या पलकों में ऐसा कोई भंगापन या विकृति हो या उसकी ऐसी बनावट हो, जिसके चलते वह सेवा के लिये अयोग्य हो या भविष्य में अयोग्य हो जा सकता है, तो ऐसा उम्मीदवार सेवा के लिये अयोग्य माना जायेगा।
- (ii) दृष्टि-तीक्ष्णता-
- (क) दृष्टि की तीक्ष्णता के निर्धारण के लिये दो प्रकार की जाँच की जाती है, एक दूर दृष्टि और दूसरी निकट दृष्टि की। प्रत्येक आँख की जाँच अलग-अलग की जायेगी। दूर दृष्टि के लिये सेलेन जाँच-टाइप 20 फीट की दूरी पर, बिना चश्मा के, की जायेगी और निकट दृष्टि के लिये बिना चश्मा के उतनी दूरी से जाँच की जायेगी, जो उम्मीदवार पसंद करे।
- (ख) कोर्निया की हल्की-फुल्की (नेबुला ऑफ कोर्निया) के चलते दोषयुक्त दृष्टि वाले उम्मीदवार को छोट दिया जायेगा।
- (ग) दोषयुक्त वर्ण-बोध (डिफेक्टिव कलर विजन) के कारण उम्मीदवार को छांटा तो नहीं जायेगा, किन्तु कार्यवाही में इस बात का उल्लेख कर दिया जायेगा।
- (घ) प्रत्येक आँख के लिये एक दृष्टि क्षेत्र की अनिवार्यतः जाँच होनी चाहिये, जो कि हस्त-संचालन के जरिये की जाय।
- (ङ) जिस उम्मीदवार की दृष्टि तीक्ष्णता नीचे दिये गये स्तर से कम हो, उसे नहीं लिया जायेगा-

|                                                | अच्छी आँख | खराब आँख |
|------------------------------------------------|-----------|----------|
| चश्मा रहित दूर दृष्टि                          | 6/24*     | 6/24     |
| चश्मा लगाने पर दूर दृष्टि                      | 6/6       | 6/12     |
| व्यक्त दीर्घदृष्टि (मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया) | 1.5       | 1.5      |
| चश्मा सहित या रहित निकट दृष्टि                 | 0.8       | 1        |

\*यह अस्थायी रूप से घटाकर 6/60 कर दिया गया है।

- (च) नियुक्ति के लिये सभी उम्मीदवारों की दृष्टि की तीक्ष्णता निम्न प्रकार कार्यवाहियों में दर्ज की जायेगी:-
- दायीं दृष्टि.....चश्मा सहित.....पढ़ता है।  
बायीं दृष्टि.....चश्मा सहित.....पढ़ता है।
- (छ) गम्भीर असामान्यता की दशा में नेत्र-रोग विशेषज्ञ की राय ले ली जाय।
- टिप्पणी:- ऐसे किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति न की जायेगी, जिसकी दृष्टि संस्पर्श चश्मा (कन्टैक्ट ग्लासेज) के लगाये बिना उपर्युक्त अपेक्षाओं से कम होगी (संस्पर्श चश्मा या लेंस एक ऐसा चश्मा है, जिसकी अब तक (कानकेबिटी) और आँख के गोले के साथ सम्पर्क रहता है और लेंस तथा कोर्निया के बीच तरल की एक परत लगी रहती है। जहाँ कहीं भी चश्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, उससे यह नहीं समझा जायेगा कि उसके अंतर्गत संस्पर्श-चश्मा भी आता है)। इसके प्रयोजनार्थ आँख की दृष्टि सुधारने के लिए संस्पर्श-चश्मों को भी साधारण चश्मा समझा जायेगा।
- (ज) पास्टिरियर स्टेफिलोमा के साथ निकट दृष्टि वालों (माइयोपियन) को भी लिया जा सकता है, बशर्ते कि किसी भी आँख की दूषित दृष्टि (एमेट्रोपिया) (-) 2.5 डी० से अधिक न हो और रंजित पटल (कार्याड) या रेटिना में विकारी परिवर्तन न हो।
- (झ) पच्चीस वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को भी लिया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी किसी भी आँख या दोनों आँखों की दूषित दृष्टि (एमेट्रोपिया) (-) 3.5 डी० से अधिक न हो और उसकी प्रत्येक आँख की दृष्टि सुधार कर 6/6 कर दी गयी हो।
- (ञ) दीर्घ दृष्टि (हाइपरमेट्रोपिया) वाले उम्मीदवार को भी लिया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी दृष्टि तीक्ष्णता निम्न प्रकार हो:-

|                | अच्छी आँख  | खराब आँख   |
|----------------|------------|------------|
| चश्मा लगाने पर | दृष्टि 6/6 | दृष्टि 6/9 |

07. पेशाब की जाँच परीक्षक के सामने कराकर की जायेगी और उसके परिणाम को अनुबद्ध फॉर्म में दर्ज कर दिया जायेगा।

08. निम्न अतिरिक्त बातों पर भी ध्यान रखा जायेगा:-

- (क) कि उम्मीदवार अपने दोनों कान से अच्छी तरह सुन लेता है और उसे कान का कोई रोग नहीं है; जो उम्मीदवार परीक्षक की ओर पीठ करके 10 फीट की दूरी पर सामान्य से थोड़ी ऊँची आवाज से बोलने पर सुन ले, उसे योग्य समझा जायेगा। उसके प्रत्येक कान की जाँच अलग-अलग की जायेगी और प्रत्येक कान को बारी-बारी से तेल में भिंगोई रूई से बन्द करके जाँच की जायेगी;
- (ख) कि उसकी बोली में हकलाहट नहीं है;
- (ग) कि उसके दाँत अच्छी हालत में है और अच्छी तरह चबाने के लिए आवश्यकतानुसार नकली दाँत भी लगे हुए हैं (गटे हुए दाँत अच्छे दाँत समझे जायेंगे);
- (घ) कि उसकी छाती की बनावट अच्छी है और उसका विस्तार पर्याप्त है तथा उसका हृदय और फेफड़ा अच्छी हालत में है;
- (ङ) कि उदर रोग का कोई लक्षण नहीं है;
- (च) कि उसे किसी प्रकार का आँत रोग (हर्निया) नहीं है;
- (छ) कि उसका फोता इतना बढ़ा हुआ नहीं है कि जिससे वह अपने कर्तव्य को सम्पादन करने में असमर्थ हो तथा उसे गंभीर बेरिकोसिल, बेरिकोजवेस या बवासीर या स्क्रोटल ट्यूमर नहीं है;
- (ज) कि उसके अवयव (लिम्ब्स), हाथ, पाँव की रचना पुष्ट और विकसित है तथा उसके सभी जोड़ों का संचालन ठीक-ठीक आसानी से होता है;
- (झ) उसे कोई जीर्ण और पुराना चर्म रोग नहीं है;
- (ञ) कि उसमें कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं है;
- (ट) कि उसमें किसी नये या पुराने रोग का कोई ऐसा लक्षण नहीं है, जिससे कि उसके शारीरिक अंग पर किसी विकृति का संकेत मिलता हो;
- (ठ) कि उसने टीका लगाये जाने का प्रमाण पत्र पेश कर दिया है; तथा
- (ड) कि वह संचारी रोगों से मुक्त है।